



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, जून 26—जुलाई 2, 2011, शनिवार/आषाढ़ 5—आषाढ़ 11, 1933
No. 27] NEW DELHI, JUNE 26—JULY 2, 2011, SATURDAY/ASADHA 5—ASADHA 11, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 199.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे (अधीक्षक) भर्ती नियम, 2004 और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे में सहायक इंजीनियर और कनिष्ठ इंजीनियर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, सहायक इंजीनियर और कनिष्ठ इंजीनियर, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—यह नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरहता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा के आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक इंजीनियर	5* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :

ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

(11)

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2 : पहली जनवरी, 2006 की प्रास्थिति में नियमित रूप से नियुक्त ज्येष्ठ तकनीकी सामूहिक रूप से तकनीकी से ज्येष्ठ होगा।

टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

प्रोन्नति के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. अपर निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कनिष्ठ इंजीनियर	48* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष तक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की आयु में पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने

(6)

के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)

किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल/यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर/आटो मोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा।

टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

(8)

लागू नहीं होता

(9)

दो वर्ष

(10)

सीधे भर्ती

टिप्पण 1 : पदधारियों की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, —

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपबंधित अर्हताएं हैं।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)

लागू नहीं होता

(12)

पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. अपर निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(12)

- | | |
|--|--------|
| 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी | —सदस्य |
| 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे | —सदस्य |

[फा. सं. 2/2/2008-स्था. II]
ललन प्रसाद शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 20th July, 2011

G.S.R. 199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune (Supintendent) Recruitment Rules, 2004, and the Central Water and Power Research Station, Pune (Group 'C') Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Engineer and Junior Engineer in the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Assistant Engineer and Junior Engineer, Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rule shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-serviceman and other special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Assistant Engineer	5* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs. 9300— 34800+ Grade Pay Rs. 4600	Selection	No	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)

Promotion

Promotion :

Junior Engineer with five years regular service in the grade.

Note 1 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Note 2 : The regularly appointed Senior Technician in position 1st January, 2006 will be en-block senior to the Technician.

(12)

Note 3 : Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion, consisting of :—

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1. Additional Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman
2. Senior Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member
3. A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central Government —Member
4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Junior Engineer	48* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Upto 30 years (Relaxable for Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi

		(7)
		Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
(8)	(9)	(10)
Diploma in Civil/Mechanical/Electrical/Electronics/Computer/Auto mobile Engineering from a recognised Institute. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years
(11)	(12)	
Direct Recruitment. Note 1 : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,— (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the qualifications provided for direct recruitments under column 8. Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	
(13)	(14)	
Group 'B' Departmental Promotion Committee for confirmation, consisting of :— 1. Additional Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman 2. Senior Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member 3. A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central Government —Member 4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	

[F. No. 2/2/2008-Estt. II]

L. P. SHARMA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 22 जून, 2011

सा.का.नि. 200.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर में ज्येष्ठ अन्वेषक (एसओसीएस) और सामाजिक कार्यकर्ता के समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर, ज्येष्ठ अन्वेषक (एसओसीएस) और सामाजिक कार्यकर्ता, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. आरंभिक गठन.—इन नियमों की अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद के ऐसे पदधारी, जो इन नियमों के प्रारम्भ से पहले राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर में नियमित आधार पर नियुक्त किए गए थे, इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनके द्वारा उक्त पद पर नियमित आधार पर की गई सेवा की गणना परिवीक्षा, पुष्टि और पेंशन के प्रयोजन के लिए की जाएगी ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. ज्येष्ठ अन्वेषक (एसओसीएस) आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	3* (2011) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300— 34800 रु. ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । आयु-सीमा अवधारित करने के लिए

(7)

निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से समाज विज्ञान/मानव विज्ञान में एमए,

या

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से समाज कार्य में मास्टर डिग्री,

या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से समाज विज्ञान में डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से समाज कार्य में दो वर्ष का डिप्लोमा।

(ख) किसी सरकारी संगठन में समाज कार्य के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

33.34 प्रतिशत संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति+प्रोन्नति)

66.66 प्रतिशत सीधी भर्ती ।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं । या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है, और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं ।

ऐसे विभागीय सामाजिक कार्यकर्ता के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो फीडर ग्रेड में हैं और यदि उसका चयन कर लिया जाता है, तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

आरंभिक गठन.—इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को नियमित आधार पर ज्येष्ठ अन्वेषक (एसओसीएस) का पद धारण करने वाला अधिकारी, इस पद के आरंभिक गठन के प्रक्रम पर, नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर, जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) :—

1. उप-महानिदेशक, क्षयरोग —अध्यक्ष
2. निदेशक/उप-निदेशक (प्रशा.), जो टीबी अनुभाग से संबद्ध हो —सदस्य
3. निदेशक, राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान —सदस्य

प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सामाजिक कार्यकर्ता	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	9300— 34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : I. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाज विज्ञान में मास्टर डिग्री, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज विज्ञान में बैचलर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से समाज कार्य में दो वर्ष का डिप्लोमा। टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधि कारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :— (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या	लागू नहीं होता

(11)

- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य में, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की है, और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं।

(13)

(14)

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) :-

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. अपर-महानिदेशक, राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर —अध्यक्ष
2. संबंधित अनुभाग का अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर —सदस्य
3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर —सदस्य

[फा. सं. ए-12018/17/95-टीबी]

मनोज सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Directorate General of Health Services)

New Delhi, the 22nd June, 2011

G.S.R. 200.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' posts of Senior Investigator (SOCS) and Social Worker in the National Tuberculosis Institute, Bangalore, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Tuberculosis Institute, Bangalore, Senior Investigator (SOCS) and Social Worker Group 'B' post Recruitment Rules, 2011.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay/scale of pay.—The number of posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay/scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Initial Constitution.—The incumbent of the post specified in column 1 of the Schedule to these rules who were appointed on regular basis in the National Tuberculosis Institute, Bangalore before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and the services rendered by them in such post on regular basis shall be taken into account for the purpose of probation, confirmation and pension.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Senior Investigator (SOCS)	3* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	9300—34800 (PB-2) Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 30 years. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
Educational and other qualification required for direct recruits				Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(8)				(9)	(10)	
Essential :				Not applicable	Two years for direct recruits	
A (i) M.A. in Sociology/Anthropology from a recognised University/Institute;						
OR						
(ii) Master's Degree in Social Work from a recognised University/Institute;						
OR						

(8)

(iii) Degree in Sociology from a recognised University/Institute alongwith 2 years Diploma in Social Work from a recognised University/Institute, and

(B) Three years experience in the field of Social Work in a Government Organization.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)

(12)

33.34% composite method (Deputation plus promotion)
66.66% Direct Recruitment.

Deputation :

Officers under the Central Governments :

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department;
OR
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2 Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200

OR

equivalent in the parent cadre/Department; and

- (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (8).

Departmental Social Worker in the Feeder Grade shall also be considered and in case He/She is selected, the post shall be deemed to have been filled by promotion.

Initial Constitution : The Officer holding the post of Senior Investigator (SOCS) on a regular basis on the date of commencement of the rule shall be deemed to have been appointed at the initial constitution stage to the post.

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

(12)

Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

Note : For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (date from which the revised Pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of Pay into one Grade with a common Grade Pay/Pay Scale and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement Grade without any upgradation.

(13)	(14)
If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
DPC (for confirmation) :— 1. Dy. Director General Tuberculosis —Chairman 2. Director/Dy. Director (Admn.) concerned with TB Section —Member 3. Director National Tuberculosis Institute —Member	Consultation with UPSC is necessary for appointment to the post on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Social Worker	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial	PB-2 Rs. 9300— 34800 with Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	No	Not exceeding 30 years. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul

		(7)
		and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
(8)	(9)	(10)
<p>Essential :</p> <p>1. Master's Degree in Social Work/Sociology from a recognised University;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Bachelor's degree in Sociology from a recognised University with 2 years Diploma in Social Work from a recognised Institution/University.</p> <p>Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the SSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p>	Not applicable	Two years
(11)	(12)	
<p>Direct Recruitment.</p> <p>Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government.</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ Department;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(ii) with 6 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-1 Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment under Col. (8).</p>	Not applicable	
(13)	(14)	
<p>DPC (for confirmation) :—</p> <p>1. Additional Director National Tuberculosis Institute, Bangalore —Chairman</p> <p>2. Section Officer of the concerned Section, National Tuberculosis Institute, Bangalore —Member</p> <p>3. Administrative Officer, National Tuberculosis Institute, Bangalore —Member</p>	Consultation with UPSC not necessary.	

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 30 जून, 2011

सा.का.नि. 201.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नयाचार अधिकारी भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में नयाचार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) नयाचार अधिकारी (भर्ती) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नयाचार अधिकारी	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300— 34800 रु. (ग्रेड वेतन 4600 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)	(12)
------	------

प्रतिनियुक्ति या आमेलन

प्रतिनियुक्ति या आमेलन :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और
(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री;

(ii) नयाचार और/या जन संपर्क कार्य का दो वर्ष का अनुभव ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले (उस नोटिस में जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग के सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)	(14)
------	------

लागू नहीं होता

आमेलन के आधार पर किसी अधिकारी का नियुक्ति करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[सं. ए-12018/2/2009-ई. 1]

ललित कुमार शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)**

New Delhi, the 30th June, 2011

G.S.R. 201.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Protocol Officer Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulating the method of recruitment to the posts of Protocol Officer in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) Protocol Officer (Recruitment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. — The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who had entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Protocol Officer	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 (Rs. 9300—34800)+ Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
---	---	-----------------------------

(8)

(9)

(10)

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

(12)

Deputation or Absorption

Deputation or Absorption :

Officers under the Central Government :

(a) (i) holding analogous posts in the parent cadre or department;

OR

(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular in posts in Pay Band-2 Rs. 9300—34800 + Grade Pay Rs. 4200; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience :—

(i) Bachelor's Degree of a recognised University;

(ii) Two years experience of protocol and/or public relations work.

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note : For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary for appointing an officer on absorption basis.

[No. A-12018/2/2009-E-1]

L. K. SHARMA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 21 जून, 2011

सा.का.नि. 202.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय (आर्थिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2006 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, आर्थिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, आर्थिक अधिकारी भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वह होगा, जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट होंगी।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे अथवा वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. आर्थिक अधिकारी	21* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300— 34800 रु. ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,

(6)

मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं

क्या सीधी भर्ती हेतु आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति पाने वाले के मामले में लागू होंगी

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

अनिवार्य :

आयु : नहीं

सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र में या अप्लाईड अर्थशास्त्र या बिजनेस अर्थशास्त्र या अर्थमिति में स्नातकोत्तर डिग्री।

शैक्षणिक अर्हता : नहीं
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में अर्थशास्त्र के साथ स्नातक डिग्री

टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 50% सीधे भर्ती द्वारा

प्रोन्नति :

9300—34800 रु. के वेतन बैंड-2 में 4200 रु. के ग्रेड वेतन में तकनीकी सहायक (आर्थिक), जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक ये या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अपनी अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति :

1. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन बैंड-2 में रु. 9300—34800 में 4200 रु. के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है, और

(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं धारण करते हैं ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

सीधी भर्ती करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1. आर्थिक और सांख्यिकी सलाहकार —अध्यक्ष
2. सलाहकार या अपर आर्थिक सलाहकार (आर्थिक) —सदस्य
या उप आर्थिक सलाहकार
3. उप-सचिव (आर्थिक प्रशासन) या अवर सचिव —सदस्य
(आर्थिक प्रशासन)
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य

[फा. सं. ए-12012/5/07-ई.आई.-ईएस]

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 21st June, 2011

G.S.R. 202.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Economics and Statistics (Economic Officer) Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Economic Officer in the Directorate of Economics and Statistics in the Department of Agriculture and Co-operation of the Ministry of Agriculture, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Economics and Statistics, Economic Officer Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and Pay Band, Grade Pay or Pay Scale.—The number of the said post, its classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Economic Officer	21* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800, Grade Pay of Rs. 4600	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing

(6)		
		date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
<p>Essential : Post graduate degree in Economics or Applied Economics or Business Economics or Econometrics from a recognised University/Institute. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p>	<p>Age : No Educational qualifications : No But must possess Bachelor's degree with Economics as a subject from a recognised University.</p>	Two years for direct recruits.
<p>Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods</p>	In case recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(10)	(11)	
50% by promotion failing which by deputation. 50% by direct recruitment.	<p>Promotion : Technical assistant (Economics) in Pay Band-2 Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with five years regular service in the grade. Note 1 : Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for the promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, that is, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be</p>	

(11)

service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission.

Deputation :

Officers under the Central Governments —

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2 Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) Possessing the educational qualifications experience required for recruits under column (7).

Note 1 : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

Note 3 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, that is, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement Grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

(12)

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:—

1. Economic and Statistical Adviser —Chariman
2. Adviser or Additional Economic Adviser (Economics) or Deputy Economic Adviser —Member
3. Deputy Secretary (Economic Administration) or Under Secretary (Economic Administration) —Member
4. Chief Administrative Officer —Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F. No. A-12012/5/07-E.I-ES]

A. K. ARORA, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 22 जून, 2011

सा.का.नि. 203.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधिक के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रधान लिपिक-सह-लेखाकार	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके

(7)

40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने को कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(8)

(9)

(10)

आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य;

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

वांछनीय : लेखा और साधारण वित्तीय नियमों का ज्ञान ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में कार्यरत ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

(12)

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता।

1. निदेशक, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची —अध्यक्ष
2. आचार्य, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची —सदस्य
3. रांची में अवस्थित केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी की पंक्ति का एक अधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. उच्च श्रेणी लिपिक	3* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	चयन	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,						

(7)

मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या इसके समतुल्य;

(9)

लागू नहीं होता

(10)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसा अवर श्रेणी लिपिक या भंडारी, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगा।

प्रतिनियुक्ति :

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

(i) जो मूल काडर/संगठन में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या

(12)

(ii) जो वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. पर या इसके समतुल्य श्रेणी में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक के रूप में या इसके समतुल्य श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 से पहले, उसी तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)

समूह 'ग' पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. निदेशक, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची —अध्यक्ष
2. आचार्य, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची —सदस्य
3. रांची में अवस्थित केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी की पंक्ति का एक अधिकारी

(14)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. आशुलिपिक श्रेणी-I	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)

लागू नहीं होता

(9)

लागू नहीं होता

(10)

लागू नहीं होता

(11)

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(12)

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-2, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति :

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

(i) जो मूल काडर/संगठन में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या

(ii) जो वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. पर या समतुल्य में आठ वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों ।

(ख) जिनके पास कंप्यूटर पर निम्नलिखित कुशलता परीक्षण मानदण्ड हों :

श्रुतलेख : 10 मिनट की दर पर 100 शब्द प्रति मिनट

अनुलिपिकरण : 40 मिनट (अंग्रेजी)

55 मिनट (हिंदी)

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 से पहले, उसी तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(13)				(14)		
समूह 'ग' पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-				लागू नहीं होता ।		
1. निदेशक, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची —अध्यक्ष						
2. आचार्य, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची —सदस्य						
3. रांची में अवस्थित केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी की पंक्ति का एक अधिकारी						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. आशुलिपिक श्रेणी-2	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके के 40 वर्ष तक की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित की जाएगी ।
(8)			(9)		(10)	
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और			लागू नहीं होता		दो वर्ष	
(2) कंप्यूटर पर कुशलता परीक्षण मानदण्ड : श्रुतलेख : 10 मिनट की दर पर 80 शब्द प्रति मिनट अनुलिपिकरण : 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी)						
(11)				(12)		
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा				लागू नहीं		
टिप्पण : पदधारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेंगी, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं ।						

(13)

समूह 'ग' पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. निदेशक, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची —अध्यक्ष
2. आचार्य, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची —सदस्य
3. रांची में अवस्थित केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी की पंक्ति का एक अधिकारी

(14)

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. अवर श्रेणी लिपिक	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी । (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी)।

(8)

(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और

- (2) कंप्यूटर पर कुशलता परीक्षण मानदण्ड :
 अंग्रेजी टंकण 35 शब्द प्रति मिनट की दर पर
 हिंदी टंकण 30 शब्द प्रति मिनट की दर पर
 (अनुज्ञात समय - 10 मिनट)
 (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव पर 10500 के डी पी एच/9000 के डी पी एच के समरूप 10500 के डी पी एच/9000 के डी पी एच के समरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)

(9)

लागू नहीं होता

(10)

दो वर्ष

(11)

सीधी भर्ती द्वारा

(12)

लागू नहीं होता

(13)

समूह 'ग' पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. निदेशक, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची —अध्यक्ष
2. आचार्य, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची —सदस्य
3. रांची में अवस्थित केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी की पंक्ति का एक अधिकारी

(14)

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. भंडारी	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने को कहा गया है ।

(8)

आवश्यक—

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ।

वांछनीय :

किसी भंडार या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के किसी ख्यातिप्राप्त समुत्थान में, भंडार संभालने और लेखाओं को रखने में अनुभव ।

(9)

लागू नहीं होता

(10)

दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
(13)	(14)
समूह 'ग' पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची —अध्यक्ष 2. आचार्य, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची —सदस्य 3. रांची में अवस्थित केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी की पंक्ति का एक अधिकारी	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी)	1 * (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य ।		
(2) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञापत्र हो और मोटर यंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी यानों की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक कर सकता हो) ।		
(3) किसी मोटरकार के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।		
(4) स्थानीय राज्य सरकार परिवहन प्राधिकरण द्वारा संचालित चालन परीक्षण उत्तीर्ण हो ।		

(8)

वांछनीय : होमगार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा ।

टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(11)

प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :
प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन ।

(12)

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से :—

- (क)(1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(2) जिन्होंने वेतन बैंड-1 : 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. या समतुल्य में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और
(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आमेलन : भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान में नियमित बहु कार्य कर्मचारियों में से, चालन परीक्षा के आधार पर जिसके पास मोटर कार के लिए प्रामाणिक चालन लाइसेंस है, मोटर कारों के चलाने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए ली गई चालन परीक्षण के आधार पर मिली है, जिसके न हो सकने पर, केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों से ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जो स्तंभ (8) में यथा-उल्लिखित अर्हताएं पूरी करते हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

प्रतिनियुक्ति का पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बलों के ऐसे कर्मियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है । तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 से पहले, उसी तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)

(14)

समूह 'ग' पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता।

1. निदेशक, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची —अध्यक्ष
2. सहायक आचार्य, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची —सदस्य
3. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय या किसी राज्य सरकार के विभाग से तकनीकी अधिकारी या समतुल्य हैसियत का कोई अधिकारी —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. बहु कार्य कर्मचारीवृन्द (नलसाज, पम्पमैन, दफ्तरी, डुप्लिकेटिंग मशीन प्रचालक, प्रयोगशाला परिचर, रसोइया, छात्रावास सेवक माली, सफाईवाला, चौकीदार और चपरासी के तत्कालीन समूह 'घ' पद)	16* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(11)	(12)	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
(13)	(14)	
समूह 'ग' पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं होता ।
1. निदेशक, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची	—अध्यक्ष	
2. सहायक आचार्य, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची	—सदस्य	
3. रांची में अवस्थित केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी की पंक्ति का एक अधिकारी	—सदस्य	

[सं. ए-12011/11/2006-स्था.]

ओम प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 22nd June, 2011

G.S.R. 203.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs Group 'C' and 'D' in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi, Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi, in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Group 'C' posts in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and pay band, grade pay or scale of pay.—The number of said posts, their classification and pay band, grade pay or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Head Clerk-cum-Accountant	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2: ₹ 9300—34800+ Grade Pay ₹ 4200.	Selection	Not applicable	Between 18 to 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
<p>Essential : Bachelor's Degree or equivalent from a recognised University.</p> <p>Desirable : Knowledge of Accounts and General Financial Rules.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits.
<p>Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods</p>	In case recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(11)	(12)	
By promotion failing which by direct recruitment	<p>Promotion : Upper Division Clerk in the Pay Band-1: ₹ 5200-20200 plus Grade Pay of ₹ 2400 working in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi with five years regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.</p>	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
(13)	(14)	
<p>Departmental Promotion Committee for Group 'C' posts (for considering confirmation or promotion) consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director, IILM, Ranchi —Chariman 2. Professor, IILM, Ranchi —Member 3. An officer of the rank of Administrative Officer from any Central Government office located at Ranchi —Member 	Not applicable.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Upper Division Clerk	3*(2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1; ₹ 5200—20200+ Grade Pay ₹ 2400.	Selection	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
		(8)		(9)		(10)
		Bachelor's Degree or its equivalent from a recognised University.		Not applicable		Two years for direct recruits.
		(11)		(12)		
		By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.		Promotion : Lower Division Clerk or Store-keeper in the Pay Band-1; ₹ 5200-20200 plus Grade Pay ₹ 1900 with eight years regular service in the grade. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is		

(12)

less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for the promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation :

Officials of the Central Government :

- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or organisation; or
- (ii) having eight years' regular service as Lower Division Clerk in the Pay Band-1 : ₹ 5200-20200 plus Grade Pay ₹ 1900 or in its equivalent grade; or
- (iii) having five years regular service as Lower Division Clerk or in its equivalent grade with educational qualifications prescribed for direct recruits under column (8).

Note I : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note II : The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note III : For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)

(14)

Departmental Promotion Committee for Group 'C' posts (for considering promotion or confirmation) consisting of :—

- | | |
|--|-----------|
| 1. Director, IILM, Ranchi | —Chariman |
| 2. Professor, IILM, Ranchi | —Member |
| 3. An officer of the rank of Administrative Officer from any Central Government office located at Ranchi | —Member |

Not applicable.

(12)

Note II : The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

Note III : For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement Grade without any upgradation.

(13)

(14)

Departmental Promotion Committee for Group 'C' posts (for considering confirmation or promotion) consisting of:—

Not applicable.

1. Director, IILM, Ranchi —Chariman
2. Professor, IILM, Ranchi —Member
3. An officer of the rank of Administrative Officer from any Central Government office located at Ranchi —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Stenographer Grade II	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1, ₹ 5200—20200+ Grade Pay ₹ 2400.	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(8)

(9)

(10)

(i) 12th Class Pass or equivalent from a recognized Board or University; and

Not applicable

Two years

(ii) Skill Test Norms on Computer .—

- Dictation : 10 minutes @ 80 w.p.m.
Transcription : 50 minutes (English)
65 minutes (Hindi)

(11)			(12)			
By direct recruitment through Staff Selection Commission.			Not applicable			
<p>Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (8).</p>						
(13)			(14)			
<p>Departmental Promotion Committee for Group 'C' posts (for considering confirmation) consisting of :—</p>			Not applicable.			
<p>1. Director, IILM, Ranchi —Chariman</p>						
<p>2. Professor, IILM, Ranchi —Member</p>						
<p>3. An officer of the rank of Administrative Officer from any Central Government office located at Ranchi —Member</p>						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Lower Division Clerk	1*(2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1 : ₹ 5200—20200+ Grade Pay ₹ 1900	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
<p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission (where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications).</p>						
(8)			(9)		(10)	
(i) 12th Class Pass or equivalent from a recognized Board or University; and			Not applicable		Two years	
(ii) Skill Test Norms on Computer :— English Typing @ 35 w.p.m. Hindi Typing @ 30 w.p.m. (Time allowed — 10 mts.) (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word)						

(11)		(12)				
By direct recruitment		Not applicable				
(13)		(14)				
Departmental Promotion Committee for Group 'C' posts (for considering confirmation) consisting of :—		Not applicable.				
1. Director, IILM, Ranchi	—Chariman					
2. Professor, IILM, Ranchi	—Member					
3. An officer of the rank of Administrative Officer from any Central Government office located at Ranchi	—Member					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Storekeeper	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 : ₹ 5200—20200 plus Grade Pay ₹ 1900	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
(8)		(9)		(10)		
Essential : 12th Class Pass or equivalent from a recognized Board;		Not applicable		Two years		

(8)

Desirable :

Experience in handling Stores and Keeping Accounts in a Store or a concern of repute in Public or Private Sector.

(11)

By direct recruitment

(12)

Not applicable

(13)

Departmental Promotion Committee for Group 'C' posts (for considering confirmation) consisting of :—

1. Director, IILM, Ranchi —Chairman
2. Professor, IILM, Ranchi —Member
3. An officer of the rank of Administrative Officer from any Central Government office located at Ranchi —Member

(14)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 : ₹ 5200— 20200 plus Grade Pay ₹ 1900	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 25 years of age. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar

(8)	(9)	Islands or Lakshadweep). (10)
<p>Essential :</p> <p>(i) 10th Standard Pass or equivalent from a recognized Board;</p> <p>(ii) Possessing a valid driving licence for motor car with knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle);</p> <p>(iii) having experience in driving of motor car for at least three years;</p> <p>(iv) passing a driving test conducted by the local State Government Transport Authority.</p> <p>Desirable : Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers.</p> <p>Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	Not applicable	Two years

(11)	(12)
<p>By deputation or absorption failing which by direct recruitment.</p> <p>For Ex-servicemen :</p> <p>Deputation or re-employment</p>	<p>Deputation/Absorption :</p> <p>From Officials of the Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years regular service in the Pay Band-1: ₹ 5200-20200 plus Grade Pay ₹ 1900 or iequivalent; and</p> <p>(b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8).</p> <p>Note I : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years.</p> <p>Note II : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Absorption :</p> <p>From amongst the regular Multi Tasking Staff in the Indian Institute of Legal Metrology who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding analogous post on regular basis in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (8).</p> <p>For Ex-servicemen :</p> <p>Deputation or re-employment :</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. (The period</p>

(12)

of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years).

Note : For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)

(14)

Departmental Promotion Committee for Group 'C' posts (for considering promotion or confirmation) consisting of :—

Not applicable.

1. Director, IILM, Ranchi —Chairman
2. Assistant Professor, IILM, Ranchi —Member
3. Technical Officer from Directorate General Employment and Training or any State Government Deptt. or an officer of equivalent status —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Multi Tasking Staff (Erstwhile Group 'D' posts of Plumber, Pumpman, Daftry, Duplicating Machine Operator, Laboratory Attendant, Cook, Hostel Servant, Mali Safaiwala, Watchman and Peon)	16* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 : ₹ 5200— 20200 plus Grade Pay ₹ 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years of age. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar

(7)		
Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.		
(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent pass from a recognized Board.	Not applicable	Two years
(11)	(12)	
By direct recruitment	Not applicable	
(13)	(14)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of :—	Not applicable.	
1. Professor, IILM, Ranchi	—Chairman	
2. Assistant Professor, IILM, Ranchi	—Member	
3. An officer of the rank of Administrative Officer from any Central Government Office located at Ranchi	—Member	

[F. No. A-12011/11/2006-Estt.]

OM PRAKASH, Dy. Secy.